फर्द अहकाम

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर वतारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
.4.05.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन उपस्थित। प्रार्थीगण ने दिनांक 16.08.23 को न्यायालय मे उपस्थित हो कर प्रार्थना पत्र पेश कर मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए.को आगे नही चलाने बाबत एवं विड्रो करने बाबत निवेदन किया है। उक्त संबंध मे विपक्षी को सूचित किया गया। प्रार्थीगण वकील द्वारा दिनांक 21.05.24 को विपक्षी सं 1,2,5,8 व 9 के द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाब उल जवाब पेश किया जो शा.फा. है। वकील विपक्षी ने आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 नियम 6(क) 1,2,3,4 6(ख) नियम 6(घ) 6(छ) एवं आदेश 23 नियम सीपीसी पेश किया। जो शा.फा. किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया है। जिसको वे विड्रो करना चाहते है उसे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। चुकि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता से विरासत मे प्राप्त हुई एवं काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है एवं मूल वाद के निस्तारण मे समय लगेगा। प्रार्थीगण अपनी निजी कब्जे काश्त की आराजी मे विकास करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रो करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र मे कार्यवाही बंद की जावें। वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे बताया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे विपक्षी सं. 1,2,3,8 व 9 ने काउन्टर क्लेम किया है एवं सहमति से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने का निवेदन किया। उक्त वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण खुर्द बुर्द करना चाहते है जिससे विपक्षीगण का हित प्रभावित हो रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विड्रो करने बाबत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील पक्षकारान को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विपक्षी की ओर से दिनांक 09.09.22 को वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जो आगामी सुनवाई दिनांक 02.11.22 तक के लिये प्रभावी है। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण मे कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न है।	